अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 16/2018(RCMS No. 2018/00190) अनवान् हरभजन कौर पत्नी स्वर्गीय कृपाल सिंह जाति छिंपासिख आयु 80 वर्ष निदासी 3 बी 10 सुखाड़िया नगर, सोनी धर्मशाल वाली गली, श्रीगंगानगर बनाम रणजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय कृपाल सिंह जाति छिंपा सिख आयु 60 वर्ष निवासी 3 बी 10 सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.09.2019

अपीलार्थी हरभजन कौर पत्नी स्वर्गीय कृपाल सिंह की ओर से उनकी मुख्त्यारआम इन्द्रजीत कौर पुत्री हरभजन कौर निवासी मुक्तसर उपस्थित हुई। अपीलार्थी हरभजन कौर की मुख्त्यारआम इन्द्रजीत कौर ने न्यायालय में उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि प्रार्थीया इस प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है, इसलिए इस प्रकरण को दाखिल दफ्तर कर दिया जावे। प्रार्थिया की पहचान श्रीमती परमजीत गुजराल अधिवक्ता द्वारा की गई है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह अपील प्रार्थिया हरभजन कौर पत्नी स्वर्गीय कृपाल सिंह द्वारा अपने पुत्र रणजीत सिह के विरूद्ध यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 05.10.2018 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया को 500/– रूपये की भरण पोषण राशि दिये जाने के आदेश दिये थे। अपीलार्थिया हरभजन कौर की ओर से उसकी मुख्त्यारनामा खास इन्द्रजीत कौर उपस्थित हुई, जिसको मुख्त्यारआमखास नियुक्ति के सम्बन्ध में मुख्त्यारनामा की प्रति पत्रावली में पहले से पेश की हुई है।

चूंकि अपीलार्थिया इस प्रकरण में वह अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है इसलिए इस प्रकरण में इसी आधार पर कार्यवाही समाप्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भी आदेश की एक–एक प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर